-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा खदान कर्मियों के साथ मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर नकद रुपए एवं लाइसेंसी रायफल छीनने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा खदान कर्मियों के साथ मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर रुपए एवं उनका लाइसेंसी रायफल छीनने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 03.05.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के चटगन खदान के मैनेजर ने थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी दिनांक 01.05.2026 की शाम को कुछ लोग चारपहिया वाहन से आये और खदानकर्मियों के साथ मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया एवं खदान में काम कर रहे एक कर्मी के लाइसेंसी रायफल भी छीन लिए साथ ही उनके जेब में पड़े रुपए भी निकाल लिए, इस सम्बन्ध में तत्काल थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना में शामिल एक अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र फूल सिंह निवासी अमलोर थाना पैलानी जनपद बांदा को दिनांक 04.05.2026 को लूट का रायफल बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया था। साथ ही घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 23/24.06.2026 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनुराग मिश्रा को बांदा रोड पर बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे पुल के नीचे गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया तथा अन्य आरोपियों के बारे में पूछने पर अन्य अभियुक्त गोविंद शुक्ला को कटरा बलखण्डीनाका स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनुराग पुत्र राकेश निवासी जंगल दफ्तर सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा। स्थायी पता- करहिया थाना कोतवाली देहात, बांदा।
2. गोविंद पुत्र प्रकाश चन्द्र निवासी कटरा बलखण्डीनाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0- 118/26 धारा 115(2)/352/351(3)/109/310(2)/311/308(5) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गोविन्द उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 701/17 धारा 135 विद्युत अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री संजीव कुमार चौबे थानाध्यक्ष कोतवाली देहात
2. श्री दुर्विजय सिंह चौकी प्रभारी महोखर
3. हे0कां0 मानवेन्द्र सिंह
4. रि0कां0 अवनीश यादव
5. रि0कां0 आकाश
6. रि0कां0 प्रेम कुमार
7. रि0म0कां0 शिवी यादव